भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./01/195/2019/एफ0 सी0/2476 दिनांकः 17/03/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता–4x3000 किलोवाट) विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु यू0जे0वी0एन0 लिमिटेड को हस्तान्तरण। (FP/UK/HYD/42080/2019)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2239/FP/UK/ HYD/42080/2019 दिनांक 27-02-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31/12/2020 द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रस्तुत उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित हैः–

1. In reply to point no. 1, State Government was requested to submit the enabling provisions prescribing charging of lease rent @ 1% of the total value of the forest land as no such provisions have been provided under FC Act, 1980. State Government submitted that the same was desired by Uttarakhand Government vide letter dt. 09.09.2005. Which show that the reply is just a copy of the reply submitted by the User Agency. State Govt. is requested to submit the enabling provision for charging of lease rent.
2. In reply to point No. 02, State Govt. again forwarded the reply of user agency without examining at their level. User Agency informed that they are already having 33 KV substation and in addition also having 11 KV transmission line and the same shall be upgraded to 33 KV line for evacuation of power. It is submitted that RoW approved for 11 KV line is 7 mtr and for 33 KV is 15 mtr. State govt. may submit clarification in this regard.

3. In reply to point No. 03, State Govt. is requested to submit the revised muck disposal plan after incorporating swell factor.
4. In reply to point No. 4, neither any administrative approval found enclosed with the letter nor found uploaded online. State Government may submit the administrative approval of the project.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

17/03/21

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)